संख्या: 05/2026/ 7वी0आई0पी0 /58-2-2026-2035734

प्रेषक,

रजनी कांत पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ:: दिनांक : 30.03.2026**

विषय: खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को अग्नि सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण तथा एफ.एस.एस.ए.आई. के मानकों का पालन किया जाना एवं स्वयं सक्षम प्राधिकारी/ संस्था से प्राप्त किया जाना तथा मानकों के अनुरूप इकाई संचालन की निरंतर निगरानी के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आपको विदित है की प्रदेश में फल, सब्जी प्रसंस्करण, डेयरी, अनाज और दालें में मूल्यवर्धन/ प्रसंस्करण, बेकरी और कन्फेक्शनरी, पेय पदार्थ, मसाले, रेडी-टू-ईट और मूल्य वर्धित खाद्य पदार्थ, पैकेजिंग, कोल्ड चेन आदि से सम्बंधित कोई न कोई इकाई जनपद में क्रियाशील है। खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों में अग्नि सुरक्षा (Fire Safety), प्रदूषण नियंत्रण (Pollution Control) एवं के मानकों का परिपालन अत्यधिक आवश्यक अंग हैं। अग्नि सुरक्षा उच्च तापमान और मशीनों के कारण होने वाले भारी उत्पाद/ मशीनरी के नुकसान और व्यावसायिक रुकावटों को रोकने के लिए जरूरी है। वहीं, प्रदूषण नियंत्रण (हवा, पानी, मिट्टी) उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, जहरीले पदार्थों को रोकने और पर्यावरण नियमों का पालन करने के लिए अनिवार्य है। इसके साथ-साथ इन इकाईयों पर कार्यरत व्यक्तियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है ।

अग्नि सुरक्षा (Fire Safety Norms)

- एनओसी (NOC): स्थानीय अग्नि विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य है।
- उपकरण: अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguishers), स्प्रिंकलर सिस्टम, और अलार्म सिस्टम स्थापित होने चाहिए।
- निकास: आपातकालीन निकास (Emergency Exits) स्पष्ट और खुले होने चाहिए ।
- प्रशिक्षण: कर्मचारियों को आग बुझाने के उपकरणों का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

प्रदूषण नियंत्रण (Pollution Control Norms)

- स्थान: औद्योगिक क्षेत्र में स्थित होना चाहिए, आवासीय क्षेत्र से दूर।
- अपशिष्ट जल (ETP): औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार के लिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP/STP) होना चाहिए ।
- ठोस अपशिष्ट: ठोस कचरे का उचित निपटान (Waste Disposal) सुनिश्चित करना चाहिए ।
- धुआं/गंध: चिमनी में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस (APCD) का उपयोग करना चाहिए ।

FSSAI नॉर्म्स (FSSAI Norms - 2006)

- पंजीकरण/लाइसेंस: व्यवसाय के पैमाने के आधार पर FSSAI पंजीकरण या लाइसेंस (राज्य/केंद्रीय) अनिवार्य है।
- स्वच्छता: परिसर में स्वच्छता (Hygienic Conditions) का कड़ाई से पालन होना चाहिए।
- भंडारण: कच्चे माल और तैयार उत्पादों का भंडारण अलग-अलग और सही तापमान पर होना चाहिए।
- उपकरण: मशीनों की नियमित रख-रखाव, साफ़-सफाई और कीटाणुशोधन होना चाहिए।
- कार्मिक स्वच्छता: श्रमिकों को ग्लव्स, कैप और मास्क, शू-कवर आदि का उपयोग करना चाहिए ।
- रिकॉर्ड: उत्पादन, बिक्री और कच्चे माल का दैनिक रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है ।

अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताएं

- जल गुणवत्ता: पानी पीने योग्य (Potable) होना चाहिए और नियमित परीक्षण होना चाहिए ।
- पेस्ट कंट्रोल: कीड़े-मकोड़ों से सुरक्षा के लिए नियमित पेस्ट कंट्रोल (Pest Control) होना चाहिए ।
- लाइटिंग: प्रोसेसिंग एरिया में पर्याप्त और ढकी हुई लाइटें (Covered Lights) होनी चाहिए ।

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि जनपद में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों पर व्यापक निगरानी का कार्य कराते हुए निवेशकों को मानकों का पालन किये जाने हेतु प्रेरित किया जाय तथा उनमे क्षमता विकास हेतु भी प्रयास किये जाए। इसके साथ-साथ सम्बंधित विभागों को त्वरित कार्यवाही/प्रकरण के निस्तारण हेतु निर्देशित भी किया जाय ।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश है कि जनपद में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के भवन की सुरक्षा, रा-मटेरियल, उत्पादित खाद्य पदार्थ, मशीनरी की सुरक्षा के साथ-साथ कार्य क्रियान्वयन/ संचालन से जुड़े तकनिकी कार्मिकों/हेल्पर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सम्बंधित निवेशक/प्रबंधकों की है। निवेशकों को अग्नि सुरक्षा (Fire Safety), प्रदूषण नियंत्रण (Pollution Control) **एवं FSSAI** के मानकों का पालन डे-टू-डे के आधार पर सुनिश्चित करना होगा। जनपद में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योगों पर किसी भी अप्रिय घटना घटित होने की दशा में मानकों के पालन में शिथिलता पाए जाने पर निवेशक एवं सम्बंधित विभाग के प्राधिकारी सीधे जिम्मेदार माने जायेंगें ।

भवदीय,

(रजनी कांत पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 05/2026/7वी0आई0पी0 (1) /58-2-2026, तद्दिनांक::

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव, मा० उप मुख्य मंत्री जी, (खाद्य प्रसंस्करण) उत्तर प्रदेश सरकार।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा, लखनऊ ।
4. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।
5. समस्त उप निदेशक, उद्यान/ खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश ।
6. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय/सामुदायिक खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्र, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त सहायक इंचार्ज, राजकीय/ सामुदायिक खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्र, उत्तर प्रदेश।

8. उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017, 2023 अंतर्गत स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के निवेशकों को इस निर्देश के साथ कि अग्नि सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण एवं एफ.एस.एस.ए.आई. के मानकों का शत प्रतिशत परिपालन सुनिश्चित किया जाय।
9. गार्डफाईल।

आज्ञा से,

(रजनी कांत पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in